

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26052022-236026
SG-DL-E-26052022-236026असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]	दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 83
No. 289]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISTHA 4, 1944	[N. C. T. D. No. 83

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 25 मई, 2022

सं. फा. 2(17)/आरआर/2010/एस-IV/799.—दिनांक 24.05.2022 की अधिसूचना संख्या सं. फा. 2(17)/आरआर/2010/एस-IV/780 के अनुसार दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV में हिंदी भाषा में प्रकाशित सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना में;

उक्त अधिसूचना की अनुसूची II में क्रम संख्या 2 के समक्ष कॉलम संख्या 4 में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के प्रावधान "सेवा के ग्रेड - III अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगो, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रुपये 25500-81100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, ग्रेड - II में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे" को "सेवा के ग्रेड - III अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगो, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रुपये 25500-81100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर

चुके हों, ग्रेड – II में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे” के रूप में पढ़ा जाये।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नवीन एस एल, विशेष सचिव (सेवाएं)

SERVICES DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 25th May, 2022

No. F. 2(17)/RR/2010/S-IV/799.—In the Hindi version of notification of Government of National Capital Territory of Delhi, Services Deptt., published in Part-IV in the Gazette of Delhi, Extra ordinary, vide No.F.2(17)/RR/2010/S-IV/780 dated 24.05.2022;

In Column No. 4 against S.No. 2 of Schedule-II, the provision regarding Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) “सेवा के ग्रेड – III अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगो, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (रुपये 25500–81100/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, ग्रेड – II में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे” be read as “सेवा के ग्रेड – III अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगो, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (रुपये 25500–81100/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, ग्रेड – II में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे”

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
NAVEEN S L, Special Secy. (Services)